"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021 — भाद्रपद 5, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 अगस्त 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–7/2020/एक/6.— राज्य शासन, एतद् द्वारा बस्तर संभाग की सीमा अन्तर्गत बहने वाली इन्द्रावती नदी घाटी के छत्तीसगढ़ राज्य सीमा अन्तर्गत आने वाले भू–भाग के समग्र विकास हेतु "इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण" का गठन करता है। प्राधिकरण के गठन एवं कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. प्राधिकरण के उद्देश्य :–

1. इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ राज्य के जलग्रहण क्षेत्र के विकास का उपाय करना, जिससे इन्द्रावती नदी में बारह माह पानी रहे. इसमें नरवा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न आवश्यक संरचनाओं के निर्माण संबंधी प्रस्ताव एवं उपाय करना सम्मिलित होगा.
2. इन्द्रावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निर्मित समस्त सिंचाई परियोजनाओं का पूरी क्षमता से सिंचाई हेतु संधारण के प्रस्ताव एवं उपाय सुझाना.
3. इन्द्रावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन समस्त योजनाओं को द्रुत गति से पूर्ण करने हेतु प्रयास करना.
4. इन्द्रावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं का मास्टर प्लान के द्रुत गति से लागू करने के उपाय करना.
5. इन्द्रावती नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आवश्यक उपाय करना.
6. इन्द्रावती नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे सघन वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव एवं उपाय करना।

2. प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र :–

बस्तर संभाग अंतर्गत नीचे दर्शित जिलों एवं विकासखण्डों मे इन्द्रावती नदी के किनारे एवं नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम.

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम
(1)	(2)	(3)
1	बस्तर	बस्तर, बकावण्ड, लोहण्डीगुड़ा, बास्तानार, जगदलपुर, तोकापाल, दरभा
2	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण, दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोण्डा

3	बीजापुर	बीजापुर, उसूर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम,
4	कोण्डागांव	कोण्डागांव, फरसगांव, केशकाल, माकड़ी, बड़ेराजपुर
5	नारायणपुर	नारायणपुर, ओरछा
6	कांकेर	अंतागढ़, दुर्गकोंदल, भानुप्रतापपुर, कोयलीबेड़ा
7	राजनांदगांव	मानपुर, मोहला

3. प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियां :–

1. स्थानीय स्तर पर इन्द्रावती नदी के विकास की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण के लिये आवश्यक पहल करना तथा राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करना?.

2. प्राधिकरण को योजनाओं के अनुकूलतम उपयोग के लिये संबंधित विभाग को दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन देने का अधिकार होगा.

3. प्राधिकरण क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा.

4. प्राधिकरण को राज्य शासन द्वारा इन्द्रावती नदी जल ग्रहण क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये उपलब्ध करायी गयी राशि से क्षेत्रान्तर्गत नितान्त आवश्यक स्थानीय महत्व के छोटे–छोटे कार्यो को प्रस्तावित करने का अधिकार होगा.

प्राधिकरण को स्थानीय स्तर पर अन्य ऐसे समस्त विधिक कार्य संपादित करने की शक्ति होगी, जो प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो.

4. प्राधिकरण का गठन :–

अध्यक्ष	–	माननीय मुख्यमंत्रीजी
उपाध्यक्ष	–	शासन द्वारा नामांकित किया जावेगा।
सदस्य	–	शासन द्वारा क्षेत्रीय विधायक नामांकित किये जावेंगे।
सदस्य	–	शासन द्वारा क्षेत्रीय विधायक नामांकित किये जावेंगे।
सदस्य	–	शासन द्वारा क्षेत्रीय विधायक नामांकित किये जावेंगे।
सदस्य	–	शासन द्वारा नामांकित किया जावेगा।
सदस्य सह सचिव	–	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग।

प्राधिकरण के पदाधिकारी के संबंध में निर्णय लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत रहेंगे। प्राधिकरण अपनी बैठको में नियमित रूप से या विशेष रूप से प्राधिकरण क्षेत्र के किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा.

5. प्राधिकरण की बैठक :–

प्राधिकरण की बैठकें प्रत्येक वर्ष में तीन बार होंगी. बैठक स्थल, दिन, समय एवं चर्चा के बिन्दुओं (एजेण्डा) की संसूचना प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को सदस्य सहसचिव द्वारा निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व दी जावेगी. बैठक में लिये गये निर्णयों/संस्तुतियों से सभी संबंधितों को बैठक की कार्यवाही विवरण के माध्यम से अवगत कराया जावेगा.

6. प्राधिकरण के निर्णयों का क्रियान्वयन :–

प्राधिकरण के द्वारा लिये गये निर्णयों एवं स्वीकृतियों की संसूचना सदस्य सह सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जावेगी.

7. प्राधिकरण की निधि :–

इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के संबंध में अलग से निधि का प्रावधान नहीं किया जावेगा. प्राधिकरण द्वारा विभागीय बजट प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं पर समीक्षा, सुझाव, विकास हेतु प्रस्ताव तथा क्षेत्र के मैदानी प्रतिवेदन से शासन को अवगत कराया जावेगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय, आकस्मिक व्यय, दैनिक भत्ता इत्यादि हेतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जावेगा. प्राधिकरण के निधि नियम निम्नानुसार है :–

7.1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार –

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण निधि नियम 2021" होगा.

(ii) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

(iii) इसका विस्तार इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ राज्य के जलग्रहण क्षेत्र तक होगा.

निम्नलिखित ब्लाक एवं जिला का क्षेत्र इन्द्रावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है. अतः इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के कार्य का विस्तार निम्नलिखित ब्लाक एवं जिलों में इन्द्रावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र तक होगा –

स.क्र.	ब्लाक का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	बस्तर	बस्तर
2.	बकावण्ड	बस्तर
3.	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर
4.	बास्तानार	बस्तर
5.	जगदलपुर	बस्तर
6.	तोकापाल	बस्तर
7.	दरभा	बस्तर
8.	कटेकल्याण	दंतेवाड़ा
9.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
10.	गीदम	दंतेवाड़ा
11.	कुआकोण्डा	दंतेवाड़ा
12.	बीजापुर	बीजापुर
13.	उसूर	बीजापुर
14.	भैरमगढ़	बीजापुर
15.	भोपालपट्टनम	बीजापुर
16.	कोण्डागांव	कोण्डागांव
17.	फरसगांव	कोण्डागांव
18.	केशकाल	कोण्डागांव
19.	माकड़ी	कोण्डागांव
20.	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव
21.	नारायणपुर	नारायणपुर
22.	ओरछा	नारायणपुर
23.	अंतागढ़	कांकेर
24.	दुर्गकोंदल	कांकेर
25.	भानुप्रतापपुर	कांकेर
26.	कोयलीबेड़ा	कांकेर
27.	मानपुर	राजनांदगांव
28.	मोहला	राजनांदगांव

7.2. परिभाषाएं :–

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया ''इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण'' है.

(ख) ''निधि'' से अभिप्रेत है, प्राधिकरण को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के बजट से प्रतिवर्ष मांग संख्या 41 लेखा शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न जल संसाधन संरचनाओं/बाढ़ नियंत्रण/तट रक्षण कार्यों के लिए सर्वेक्षण,निर्माण आदि हेतु निधि उपलब्ध कराने तथा मॉग संख्या 41 के अन्तर्गत नगरीय निकाय विभाग,लोक स्वा.यां.विभाग एवं वन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि जिससे प्राधिकरण अपने उद्देशयों की पूर्ति कर सके .

7.3. निर्णयों का क्रियान्वयन –

(i) माननीय सदस्यों/क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप क्रियान्वयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार रूपये 2.00 करोड़ तक की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा. प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर प्राधिकरण इसकी सूचना संबंधित क्रियान्वयन विभाग को जारी करेगा। रू. 2.00 करोड़ से ज्यादा के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राधिकरण की अनुशंसा से शासन द्वारा जारी की जाएगी. रू. 50.00 लाख तक की लागत के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राधिकरण की अनुशंसा पर संबंधित कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी.

(ii) क्रियान्वित किये जाने वाले समस्त कार्यों का लेखा का संधारण क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभाग में लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा.

(iii) प्रशासकीय स्वीकृत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति क्रियान्वयन विभाग में अद्यतन नियमों के अनुसार दी जाएगी.

(iv) प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव में यह बताना आवश्यक होगा कि प्रस्ताव इन्द्रावती नदी की किस सहायक नदी के किस नाले के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है.

(v) रू. 50.00 लाख तक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रियान्वयन विभाग के जिला स्तर अधिकारी द्वारा संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा.

(vi) रू. 50.00 लाख से अधिक एवं रू. 2.00 करोड़ तक के प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रियान्वयन विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा.

(vii) रू. 2.00 करोड़ से अधिक के प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रियान्वयन विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जायेंगे.

(viii) प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रत्येक कार्य (कार्यों के समूह) के लिए प्राधिकरण की अनुशंसा अनिवार्य होगी. यह अनुशंसा प्राधिकरण द्वारा संलग्न परिशिष्ट–''अ'' में दी जाएगी.

7.4. प्राधिकरण के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्य –

इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ राज्य के जलग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किया जाना प्रस्तावित है:–

(i) जल संवर्धन के कार्य –

वैज्ञानिक आधार से इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ के जल ग्रहण क्षेत्र के नदी नालों में जल का संवर्धन करने का कार्य. इसमें बोल्डर चेकडेम, कंटूर बंडिंग, डबरी, तालाब, कुँआं, बांध, डायवर्सन आदि का निर्माण कार्य की वृहद कार्ययोजना बनाना एवं तदानुसार निर्माण कार्य करना.

(ii) पीने के पानी की व्यवस्था –

इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ जल ग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत पीने के पानी की समुचित व्यवस्था *का कार्य. इसके अन्तर्गत जल आवर्धन योजना, ट्यूबवेल, बोर वेल, कुआँ इत्यादि का निर्माण* कार्य.

(iii) नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने की व्यवस्था –

इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ के जल ग्रहण क्षेत्र की नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आवश्यकतानुसार सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट, गंदे पानी निकासी की व्यवस्था इत्यादि का कार्य.

(iv) नदियों के कटाव की रोकथाम, तटरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य –

इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ के जल ग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न नदी नालों में तटरक्षण, कटाव रोकने का कार्य तथा बाढ़ नियंत्रण का कार्य.

(v) निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं का द्रुतगति से निर्माण –

इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ के जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं को द्रुतगति से पूर्ण करने हेतु आवश्यक उपाय करना.

(vi) निर्मित योजनाओं का संधारण –

इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ के जल ग्रहण क्षेत्र अन्तर्गत निर्मित सिंचाई योजनाओं, जल संवर्धन योजना पेयजल योजना का संधारण का कार्य.

(vii) वृक्षारोपण –

इन्द्रावती नदी के छत्तीसगढ़ के जल ग्रहण क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर वृक्षारोपण करना जिससे नदियों में जल संवर्धन हो सके.

7.5 प्राधिकरण के लिए बजट का प्रावधान –

जल संसाधन विभाग, पी.एच.ई. विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, वन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मांग संख्या–41 के अन्तर्गत प्राधिकरण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा.

7.6 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कार्यालय के लिए राशि का प्रावधान –

प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं स्टाफ के लिए राशि का प्रावधान मांग संख्या 23/2701 राज्य आयोजना के अन्तर्गत किया जाएगा.

7.7 निधि से स्वीकृति जारी करना –

(i) शासन एवं प्राधिकरण से जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के लिए राशि संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी. कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के लिए संबंधित कलेक्टर द्वारा क्रियान्वयन विभाग को राशि उपलब्ध करायी जाएगी.

(ii) कार्य समाप्ति के उपरान्त पूर्णता प्रमाण पत्र क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्राधिकरण को उचित माध्यम से निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाएगा–

स.क्र.	प्रशासकीय स्वीकृति प्रदायक	पूर्णता प्रमाण पत्र जिसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा
1.	शासन अथवा प्राधिकरण	क्रियान्वयन विभाग के विभागाध्यक्ष
2.	कलेक्टर	संबंधित कलेक्टर

7.8 कार्य का निरीक्षण एवं प्रगति प्रतिवेदन –

प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण, क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा. क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण एवं विभागाध्यक्ष को उचित माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.

7.9 पर्यवेक्षण –

क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा.

7.10 लेखा संधारण –

क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार लेखा का संधारण किया जाएगा.

7.11 प्राधिकरण की निधि से तैयार अस्तियों का रखरखाव एवं संधारण –

प्राधिकरण की निधि से निर्मित अस्तियों का लेखा–जोखा क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाएगा। इन अस्तियों के उपयोग एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व भी संबंधित विभाग का होगा। क्रियान्वयन विभाग इन अस्तियों को अपने रिकार्ड एवं बुक्स में लेंगे.

7.12 लेखाओं का पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण–

(i) लेखाओं का पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण क्रियान्वयन विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार आंतरिक एवं बाह्य एजेन्सी से नियमानुसार कराना अनिवार्य होगा.

(ii) जिला स्तर पर स्वीकृत कार्यों का आंतरिक एवं बाह्य एजेन्सी से पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण करवाने का दायित्व संबंधित जिला कलेक्टर का होगा.

(iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूचना, अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण के लिए दी जाएगी.

प्राधिकरण अन्तर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय के फर्नीचर एवं दूरभाष, स्टेशनरी, पी.ओ.एल. आदि समस्त व्यय विभागीय बजट प्रावधान से किया जावेगा तथा मांग संख्या 23/2701, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), 3264–मण्डल स्थापना–01–001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

8. प्राधिकरण के अध्यक्ष को सुविधाएं :–

प्राधिकरण के अध्यक्ष के निजी कार्यालय के लिये स्टाफ की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं के अनुरूप होगी एवं इसकी पूर्ति जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय सैटअप से की जावेगी.

9. प्रकोष्ठ :–

प्राधिकरण के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया जावेगा, जिसमें कार्यालय के द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालयीन स्टाफ होगा, जिसमें 01 सहायक अभियंता, 01 शीघ्रलेखक, 02 सहायक वर्ग–II/सहायक वर्ग–III एवं 02 भृत्य विभागीय सैटअप से होंगे.

प्राधिकरण का सैटअप परिशिष्ट–ब में संलग्न है.

10. मुख्यालय :–

इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जगदलपुर में होगा.

हस्ता./–

(डी.डी. सिंह)
सचिव.

परिशिष्ट–"अ"

प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा का प्रारूप

इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है –

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य इन्द्रावती नदी की जिस सहायक नदी/नाले के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है उसका नाम	गॉव/ गॉवों का नाम	विकासखण्ड	जिला	विधानसभा क्षेत्र	प्रस्तावित सिंचाई (हे. में)	कार्य की लागत (रू.लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अध्यक्ष,
इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण
जगदलपुर.

परिशिष्ट–"ब"

इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का सैटअप

स.क्र.	अधिकारी/कर्मचारी	संख्या	विवरण
1	अध्यक्ष	1	–
2	उपाध्यक्ष	1	–
3	सदस्य	5	–
4	प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी	1	–
5	द्वितीय श्रेणी	3	–
6	ड्राफ्ट्समेन	2	–
7	सहायक ग्रेड–1	1	–
8	स्टेनों	1	–
9	सहायक	3	अध्यक्ष–2, उपाध्यक्ष–1
10	स्टेनो टायपिस्ट	1	–
11	डाटा एण्ट्री आपरेटर	2	–
12	वाहन चालक	2	अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.